



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना शमशाबाद जनपद आगरा। [02.11.2021](#)

थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या में वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 01.11.2021 को वादी लाखन सिंह द्वारा थाना शमशाबाद पर सूचना दी गयी कि वादी ने अपनी पुत्री की शादी सत्यवीर के साथ वर्ष 2010 में की थी। शादी के बाद ससुरालीजन बेटी को परेशान करने लगे थे व दहेज की मांग करते हुए उत्पीड़न करते थे। अपने वैवाहिक जीवन को बचाने हेतु उत्पीड़न को सहती रही। कई बार ससुरालीजनों को समझाने का प्रयास किया गया फिर भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। दिनांक 01.11.2021 को ससुरालीजनों द्वारा मेरी बेटी की हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर मु0अ0सं0 278/21 धारा 498ए/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर चार अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. सत्यवीर पुत्र गया प्रसाद नि0 गण ग्राम गढी हरचन्द थाना शमशाबाद आगरा
02. मायादेवी पत्नी गयाप्रसाद नि0 गण ग्राम गढी हरचन्द थाना शमशाबाद आगरा
03. राजवीर पुत्र गयाप्रसाद नि0 गण ग्राम गढी हरचन्द थाना शमशाबाद आगरा
04. रामधनी पुत्र गयाप्रसाद नि0 गण ग्राम गढी हरचन्द थाना शमशाबाद आगरा

आपराधिक इतिहास का विवरण :-

सत्यवीर

1. मु0अ0सं0 278/2021 धारा 302/498 भा.द.वि. व धारा 3/4 द0प्र0 अधि0 थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
2. मु0अ0सं0 279/2021 धारा 332/353 भा.द.वि. थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

मायादेवी, राजवीर व रामधनी

1. मु0अ0सं0 278/2021 धारा 302/498 भा.द.वि. व धारा 3/4 द0प्र0 अधि0 थाना शमसाबाद जनपद आगरा

पुलिस टीम का विवरण :-

प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय मय टीम थाना कोतवाली जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।